सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

“शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश” के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for “Tomb of Shah Shuja, Burhanpur, District - Burhanpur, Madhya Pradesh”

“शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश” के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for “Tomb of Shah Shuja, Burhanpur, District - Burhanpur, Madhya Pradesh”

विषय – सूची

	अध्याय I **प्रारंभिक**	
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1-2
1.2	परिभाषाएं	2-4
	अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि**	
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
	अध्याय III **संरक्षित संस्मारक - शाह शुजा का मकबरा (जिसे स्थानीय तौर पर बिलकिस बेगम का मकबरा के नाम से जाना जाता है), बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति**	
3.1	संस्मारक का स्थान और अवस्थिति	7-9
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	9
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अधिसूचना मानचित्र/योजना	9
3.3	संस्मारक का इतिहास	9-10
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	10
3.5	वर्तमान स्थिति	11
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति-स्थिति का आकलन	11
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	11
	अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो**	
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	12
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	12
	अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना**	
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	13
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	13
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	13

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	13-14
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	14
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	14
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्र-वार)	14
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों	15
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	15
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	15
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	15
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	15
अध्याय VI संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	16
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि)	17
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	17
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	17-18
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर	18
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	18
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	18
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	18
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	18
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	19
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	19
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	19
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	19
	6.13.1 मरम्मत एवं नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	19
	6.13.2 पुनर्निर्माण	19-20
	6.13.3 नया निर्माण	20-23
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	22
अध्याय VII स्थल विशिष्ट सिफारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	23
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	23

CONTENTS

CHAPTER I PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	24
1.2	Definitions	24-26
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of the Act	27
2.2	Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws	27
2.3	Rights and Responsibilities of Applicant	27-28
CHAPTER III Location and Setting of Protected Monument - Tomb of Shah Shuja (locally known as - Bilqis Begum ka Maqbara), Burhanpur, District - Burhanpur, Madhya Pradesh		
3.1	Location and Setting of the Monument	29-30
3.2	Protected Boundary of the Monument	31
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	31
3.3	History of the Monument	31
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	31
3.5	Current Status	32
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	32
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	32
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	33
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	33
CHAPTER V Information as per First Schedule and Survey Plan		
5.1	Survey Plan of the Monument	34
5.2	Analysis of surveyed data	34
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	34
	5.2.2 Description of built up area	34-35
	5.2.3 Description of green/open spaces	35
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	35
	5.2.5 Heights of buildings (Zone wise)	35
	5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings	35

	5.2.7 Public amenities	35
	5.2.8 Access to Monument	35-36
	5.2.9 Infrastructure services	36
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	36
CHAPTER VI Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	37
6.2	Sensitivity of the Monument	37-38
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	38
6.4	Land-use to be identified	38
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monument	38
6.6	Cultural landscapes	38
6.7	Significant natural landscapes	38
6.8	Usage of open space and constructions	38
6.9	Traditional, historical and cultural activities	39
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	39
6.11	Traditional architecture	39
6.12	Developmental plan, as available, by the local authorities	39
6.13	Permissible Building related parameters	39
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	39
	6.13.2 Reconstruction	40
	6.13.3 New Construction	40-42
6.14	Visitor facilities and amenities	42
CHAPTER VII Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	43
7.2	Other Recommendations	43

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey plan of Tomb of Shah Shuja, Burhanpur, District-Burhanpur, Madhya Pradesh	44
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारक की अधिसूचना Notification of the Monument	45
अनुलग्नक–III Annexure-III	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना Development plan as available by the local authorities	46
अनुलग्नक–IV Annexure-IV	संस्मारक और उसके आसपास के चित्र Images of the monument and its surroundings	47-52

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक **"शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप-नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्द्वारा 17.01.2022 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक - **"शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii)इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv)ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii)किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv)किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ङ.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ़) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है **(i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और **(ii) विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारक - शाह शुजा का मकबरा (जिसे स्थानीय तौर पर बिलकिस बेगम का मकबरा के नाम से जाना जाता है), बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी भाग में बुरहानपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बुरहानपुर शहर, उत्तर में खंडवा जिले, उत्तर-पश्चिम में खरगोन जिले और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। औसत समुद्र तल से 232 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ 21.3 डिग्री उत्तर और 76.23 डिग्री पूर्व में स्थित बुरहानपुर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ताप्ती नदी घाटी में स्थित है। ताप्ती नदी के साथ इसका रणनीतिक स्थान इसे फारुकी, मुगल, मराठा और सिंधिया सहित विभिन्न मध्यकालीन राजवंशों के अधीन व्यापार, संस्कृति और राजनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता था। आज बुरहानपुर में कई ऐतिहासिक संस्मारक हैं जैसे किले, मस्जिद, मकबरे, दरगाह, मज़ार, मंदिर, गुरुद्वारे, हम्माम, सराय और अन्य सार्वजनिक भवन शहर की समृद्ध विरासत, शहर के केंद्र के 1.2 किलोमीटर के दायरे में स्थित नौ संरक्षित संस्मारकों से स्पष्ट होती है। (चित्र 1 देखें)

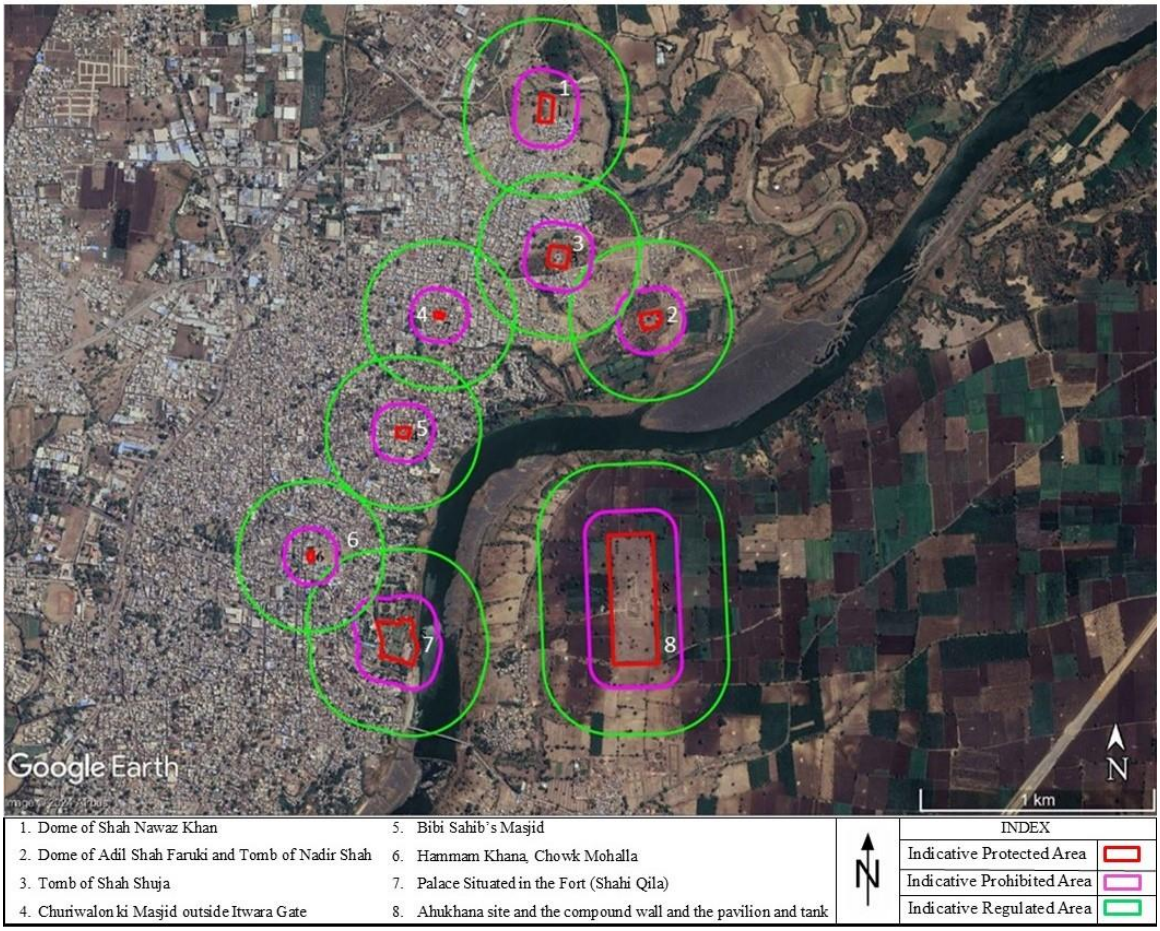

चित्र 1: शाह शुजा का मकबरा सहित संस्मारकों के समूह, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश को दर्शाता उपग्रह चित्र

1. शाह नवाज खान का गुंबद

2. आदिल शाह फारुकी का गुंबद और नादिर शाह का मकबरा

3. शाह शुजा का मकबरा

4. इतवारा गेट के बाहर चूड़ीवालों की मस्जिद

5. बीबी साहिब की मस्जिद

6. हम्माम खाना, चौक मोहल्ला

7. किले में स्थित महल (शाही किला)

8. आहुखाना स्थल और परिसर की दीवार तथा मंडप और तालाब

शाह शुजा का मकबरा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित है।

संस्मारक अक्षांश: **21°19'20.67"N, देशांतर: 76°14'36.94"E** पर स्थित है।

यह स्थल 1.6 किलोमीटर पर लोहारमंडी रोड और 2.1 किलोमीटर पर इंदौर-लच्छपुर रोड (राज्य राजमार्ग-50) से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन बुरहानपुर रेलवे स्टेशन है जो 7.3 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर है, जो खंडवा-इंदौर रोड - (राज्य राजमार्ग-27) के रास्ते से 186 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सभी मेट्रो शहरों के साथ-साथ देश के अन्य प्रमुख शहरों को भी जोड़ता है।

अन्य संरक्षित संस्मारकों जैसे शाह नवाज खान का गुंबद और नादिर शाह का मकबरे के करीब यह दरगाह हजरत शाह भिखारी और पास में अन्य मकबरों और मंदिरों के साथ एक विरासत समूह का हिस्सा है।

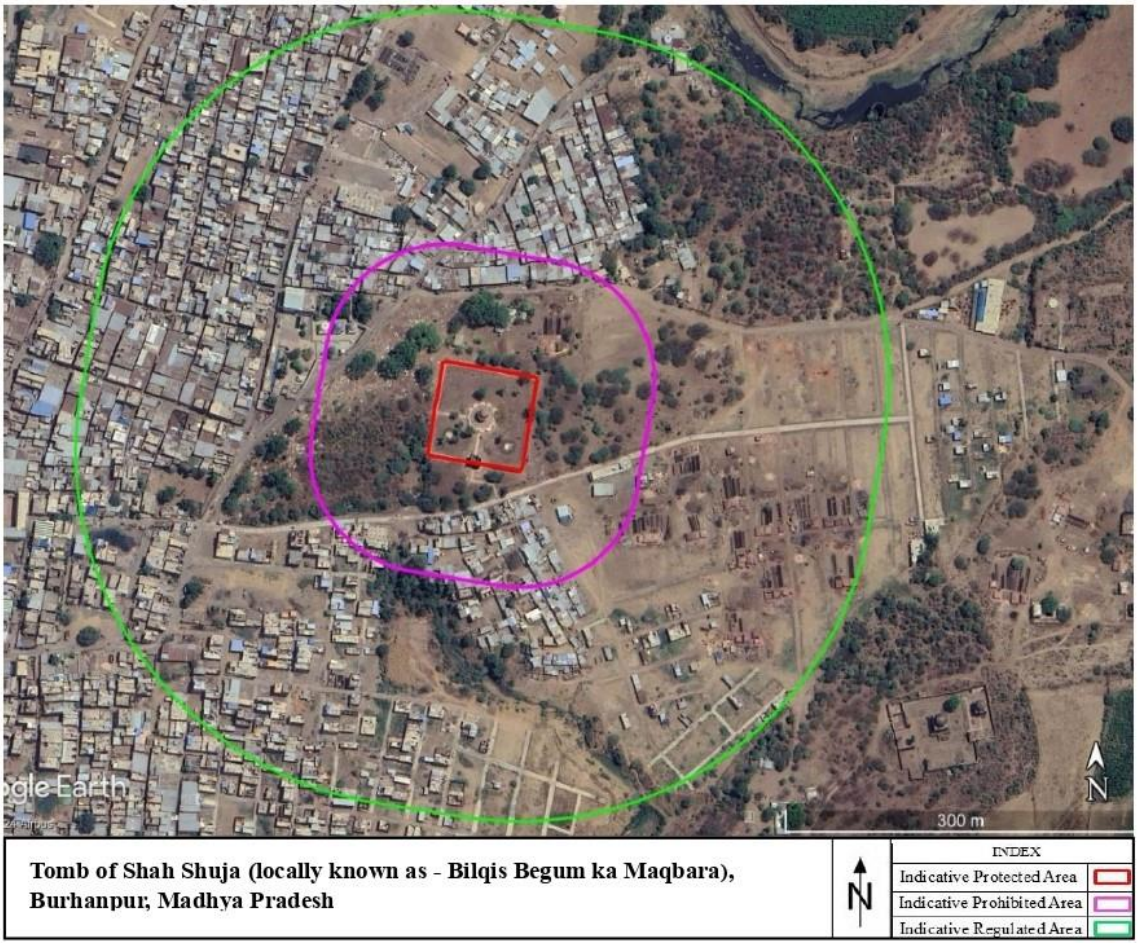

चित्र 2: शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के स्थान को दर्शाता उपग्रह चित्र

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक - शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

जैसा कि ताप्ती नदी के पास खोजे गए लाल और काले पॉलिश वाले टेराकोटा के बर्तन, धूसर रंग के बर्तन और तांबे की कुल्हाड़ियों जैसे पुरातात्विक खोजों से पता चलता है बुरहानपुर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के जटाकलंदर और तापी महात्म्य जैसे धार्मिक ग्रंथों में "बृघ्नापुर" के रूप में जाने जाने वाले एक प्राचीन शहर के रूप में बुरहानपुर के प्राचीन काल में विभिन्न राजवंशों के अधीन फूलने-फूलने का उल्लेख किया गया है। इनमें इश्वाकुस, हैहय,

प्रद्योत, शैशुनाग, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कर्दमक, अभिरस, वाकाटक, कलचुरी, चालुक्य, राष्ट्रकूट और परमार शामिल थे।

14वीं शताब्दी तक बुरहानपुर और इसके आसपास का क्षेत्र तुगलकों के अधीन दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1370 के दशक में फिरोज शाह तुगलक ने मलिक राजा को थलनेर और करंडा परगना का इक्तेदार नियुक्त किया और उन्हें खानदेश प्रांत जिसमें बुरहानपुर भी शामिल था, का सिपाह सालार नामित किया। तुगलक क्षेत्रों के विस्तार में मलिक राजा के उल्लेखनीय योगदान ने उन्हें यह पद दिलाया। जैसे-जैसे फिरोज शाह की शक्ति कम होती गई, मलिक राजा ने 1382 ई. में थलनेर को अपनी राजधानी बनाकर अपनी स्वतंत्रता का दावा किया तथा फारुकी राजवंश की स्थापना की और खानदेश पर स्वतंत्र रूप से शासन किया।

यह मकबरा सम्राट शाह शुजा की रानी - बिलकिस बेगम का है। इसे बिलकिस बेगम का मकबरा भी कहा जाता है। शाह शुजा का जन्म 23 जून 1616 को अजमेर में हुआ था और वे मुगल सम्राट शाहजहाँ और मुमताज महल के दूसरे पुत्र थे। वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार थे और अपनी पसंदीदा रानी बिलकिस बेगम के साथ बुरहानपुर आए हुए थे। बिलकिस बेगम ने एक बेटी - राजकुमारी को जन्म दिया- लेकिन प्रसव के दौरान जीवित नहीं रह सकी और 1042 हिजरी (1632 ई) में उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन के बाद बिलकिस बेगम को सम्मान के साथ दफनाया गया और यह मकबरा उसकी कब्र पर बनाया गया।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

बुरहानपुर में बने सभी मुगल संस्मारकों में से यह मकबरा अपनी निर्माण शैली के मामले में अद्वितीय है क्योंकि इसका गुंबद खरबूजे के टुकड़ों (खरबूजे) जैसा है, इसलिए इसे खरबूजा महल के नाम से भी जाना जाता है। मकबरा जमीन से 1.2 मीटर ऊपर बना है और इसे गुलाब की पंखुड़ी की तरह कटे हुए प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। यह एक उभरे हुए गोलाकार चबूतरे पर खड़ा है। यह पत्थर से बना है और सीप के गारे से प्लास्टर किया गया है और चित्रों से सजाया गया है। मकबरे के ऊपर एक घुमावदार गुंबद है।

खरबूजे जैसा दिखने वाला यह मकबरा हवा और धूप की पर्याप्त सुविधा के साथ अच्छी तरह से नियोजित वेंटिलेशन के माध्यम से इस पर जटिल नक्काशी की गई है। मकबरे के केंद्र में बिलकिस बेगम (बेगम शुजा) की मजार है, जिसे पौधों और लताओं की सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। मकबरे के अंदर रंगीन डिजाइन बनाए गए हैं। पेंट आज भी नए जैसा दिखता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी डिज़ाइन दोहराया नहीं गया है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारक का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-IV** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

प्रतिदिन औसतन 15 से 20 पर्यटक आते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

बुरहानपुर विकास योजना, 2021 की भूमि-उपयोग योजना को **अनुलग्नक-III** में देखा जा सकता है। विकास विनियमों को बुरहानपुर विकास योजना 2021 में भी देखा जा सकता है।

बुरहानपुर विकास योजना, 2021 में बुरहानपुर के संपूर्ण नियोजन क्षेत्र को 9 निवेश इकाइयों में विभाजित किया गया है ताकि उनकी स्वतंत्र कार्यक्षमता, विशेष रूप से कार्य केंद्रों, वाणिज्यिक गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में सुनिश्चित की जा सके। संरक्षित संस्मारक और आसपास का क्षेत्र **नियोजन इकाई सीमा (2)** के अंतर्गत आता है। प्रत्येक निवेश इकाई से संबंधित विशिष्ट विनियम उपलब्ध नहीं हैं।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 का 1973) (जब भी संशोधित हो) के तहत परिभाषित बुरहानपुर विकास योजना 2021 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार निर्माण के लिए सामान्य दिशानिर्देश लागू होंगे।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संरक्षित संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. संरक्षित क्षेत्र: लगभग 6,638 वर्ग मीटर।

ii. प्रतिषिद्ध क्षेत्र: लगभग 63,819 वर्ग मीटर।

iii. विनियमित क्षेत्र: लगभग 3,15,934 वर्ग मीटर।

संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में उत्तर, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में आवास और पावर-लूम कारखाने शामिल हैं, इसके साथ ही एक स्कूल, मस्जिद और कुछ किराने की दुकानें भी हैं। पश्चिमी तरफ़ एक मस्जिद, दरगाह और एक कुंडी (कुआँ) के साथ आवास मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र का उत्तरी और पूर्वी भाग मुख्य रूप से खुला है जिसमें एक कब्रिस्तान और एक कृषि क्षेत्र शामिल हैं।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र:</u>

(i) **उत्तर:** इस दिशा में कई निजी आवास, एक कब्रिस्तान और कुछ छोटे मंदिर हैं।

(ii) **दक्षिण:** इस क्षेत्र में कई निजी आवास, एक संकरी कच्ची सड़क, ताप्ती नदी का विस्तार जो एक नाले के रूप में है, हैंडपंप और एक छोटी पानी की टंकी है।

(iii) **पूर्व:** इस दिशा में खुली बंजर भूमि पाई जाती है।

(iv) **पश्चिम:** इस दिशा में खुली बंजर भूमि, एक कब्रिस्तान, मुख्य सड़क का एक भाग, कच्ची सड़क और एक नाले के रूप में ताप्ती नदी का विस्तार शामिल है।

<u>विनियमित क्षेत्र:</u>

(i) **उत्तर:** इस दिशा में कुछ आवास और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एमपीईबी) का कार्यालय शामिल है।

(ii) **दक्षिण:** इस क्षेत्र में कुछ निजी आवासों के साथ बंजर भूमि और एक स्रोत के रूप में ताप्ती नदी का विस्तार शामिल है।

(iii) **पूर्व:** इस दिशा में खुली बंजर भूमि और कच्ची सड़क मौजूद है।

(iv) **पश्चिम**: इस दिशा की विशेषता निजी आवासों की घनी बस्ती, छोटे खुले स्थान, एक मस्जिद और सीमेंट कंक्रीट सड़क का एक खंड है जो मुख्य सड़क से जुड़ता है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र:</u>

(i) **उत्तर:** इस दिशा में मंदिर के आसपास और आवासों के आसपास कुछ खुली जगह के साथ-साथ ज़्यादातर बंजर ज़मीन मौजूद है।

(ii) **दक्षिण:** इस दिशा में कुछ खुली बंजर ज़मीन मौजूद है।

(iii)**पूर्व:** इस दिशा में कॉलोनी प्लॉट और खुली बंजर ज़मीन के रूप में कुछ खुली जगह मौजूद है।

(iv)**पश्चिम:** इस दिशा और दक्षिण-पश्चिम दिशा में कुछ खुली बंजर ज़मीन मौजूद है।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

आस-पास के इलाके में बिना किसी उचित पहुंच मार्ग, फुटपाथ और अन्य बुनियादी ढांचे की बेतरतीब ढंग से आवासीय बस्तियाँ बसी हुई हैं। आवासीय क्षेत्र में सड़कें रिन्फोर्सड कंक्रीट सीमेंट (**RCC)** से बनी हैं जबकि बाकी सड़कें कच्ची हैं।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्र-वार):

(i) **उत्तर:** संरचनाएं/इमारतें G से G+2 संरचनाओं तक की हैं, जिनकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 7 मीटर है।

(ii) **दक्षिण:** संरचनाएं/इमारतें अधिकतर G संरचनाएं हैं, जिनकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 3.5 मीटर है।

(iii) **पूर्व:** वर्तमान में इस दिशा में कोई निर्मित रूप मौजूद नहीं है।

(iv)**पश्चिम:** संरचनाएं/इमारतें G से G+2 संरचनाओं तक की हैं, जिनकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 10 मीटर है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

इस केंद्रीय संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई राज्य संरक्षित संस्मारक या कोई अन्य स्थानीय निकाय संरक्षित संस्मारक मौजूद नहीं है। इसके आसपास तीन अन्य संरक्षित संस्मारक हैं, जैसे शाह नवाज खान का गुंबद, आदिल फारुकी का गुंबद, नादिर शाह का मकबरा और चूड़ीवालों की मस्जिद।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

संरक्षित स्मारक में सांस्कृतिक सूचना बोर्ड और कुछ संकेतक मौजूद हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संस्मारक खरगोन-बुरहानपुर राजमार्ग/इंदौर इच्छापुर राजमार्ग से छोटी और स्थानीय सड़कों के एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा (संस्मारक से लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम) पर राजमार्ग से जुड़ते हैं। यह हजरत आयशा चौराहा से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली एक स्थानीय सड़क के माध्यम से आजाद नगर से भी जुड़ा हुआ है। संस्मारक तक पहुँचने के लिए प्रवेश बिंदु से लगभग 200 मीटर लंबी कच्ची सड़क है। यह कच्ची सड़क आगे मोनिन पुरा और आजाद नगर नामक आस-पास की कॉलोनियों की एक कंक्रीट सड़क से जुड़ जाती है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

उत्तरी दिशा में विनियमित सीमा के पास एमपीईबी ट्रांसफार्मर और विद्युत उप-स्टेशन मौजूद है। संस्मारक के चारों ओर दो ओवरहेड वाटर टैंक (ओएचटी) और कुछ खुले प्राकृतिक वर्षा जल नाले भी मौजूद हैं।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र की प्रस्तावित ज़ोनिंग:

बुरहानपुर विकास योजना, 2021 में बुरहानपुर के संपूर्ण नियोजन क्षेत्र को 9 निवेश इकाइयों में विभाजित किया गया है ताकि उनकी स्वतंत्र कार्यक्षमता, विशेष रूप से कार्य केंद्रों, वाणिज्यिक गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में सुनिश्चित की जा सके। संस्मारक और आसपास का क्षेत्र **नियोजन इकाई सीमा (2)** के अंतर्गत आता है, हालाँकि, प्रत्येक नियोजन इकाई सीमा के लिए विशिष्ट विनियम उपलब्ध नहीं हैं।

अध्याय VI

संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

ऐतिहासिक महत्व:

शाह शुजा का मकबरा रानी बिलकिस बेगम की याद में बनाया गया था - जो मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे शाह शुजा की पत्नी थी। बिलकिस बेगम प्रसव के दौरान जीवित नहीं रह सकीं और 1042 हिजरी (1632 ई.) में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद, बिलकिस बेगम को सम्मान के साथ दफनाया गया और यह मकबरा उनकी कब्र के ऊपर बनाया गया।

वास्तुशिल्प महत्व:

बुरहानपुर में मुगल संस्मारकों में से यह मकबरा अपनी विशिष्ट निर्माण शैली के लिए जाना जाता है जिसमें खरबूज के टुकड़ों जैसा गुंबद है। इस अनूठे डिजाइन ने इसे "खरबूजा महल" नाम दिया है। यह मकबरा जमीन से 1.2 मीटर ऊपर है और गुलाब की पंखुड़ी के आकार के एक चबूतरेद पर टिका हुआ है, जो एक उभरे हुए गोलाकार आधार पर स्थापित है। पत्थर से निर्मित और शैल मोर्टार से लेपित, यह जटिल चित्रों से सुशोभित है। एक घुमावदार गुंबद से सुसज्जित, संरचना को खरबूजे जैसा दिखने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें विस्तृत नक्काशी है और पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश के साथ अच्छी तरह से हवादार है। इसके केंद्र में बेगम शुजा की मजार है, जो उत्तम पौधे और लता रूपांकनों से सुशोभित है। अंदर, जीवंत डिजाइन दीवारों को सुशोभित करते हैं, समय बीतने के बावजूद उनके रंग नए लगते है, प्रत्येक पैटर्न अद्‌वितीय है और दोहराया नहीं गया है।

पुरातात्विक महत्व:

यह संस्मारक एक ऐसे स्थल के तल पर स्थित है जो शाही कब्रिस्तान के रूप में काम करता है, जहाँ काफ कब्रें और फ़ारूकी शासकों, उनके परिवारों और प्रसिद्‌ध संतों के पार्थिव अवशेष दफन हैं। 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह कब्रगाह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। मकबरे के अंदरूनी हिस्से में शाह शुजा की पत्नी की कब्र है, जो अपने जटिल डिजाइन और समृद्‌ध इतिहास के साथ, इस स्थल के पुरातात्विक महत्व को बढ़ाती है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में कई अन्य संस्मारकों के साक्ष्य हैं जो ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत के भंडार के रूप में इस स्थल के मूल्य को रेखांकित करते हैं।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

ऐतिहासिक रूप से संस्मारक विशाल, बंजर ऊसर भूमि से घिरा हुआ था जो अपनी बंजर मिट्टी और ढलान वाले इलाके के लिए जाना जाता था। इस विशाल खाली क्षेत्र को पिछले दशक में शहरी विकास और आवास की मांगों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से विनियमित क्षेत्र के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर। इस खाली भूमि पर धीरे-धीरे अतिक्रमण किया गया और विकास किया गया जिससे शहर की बढ़ती आबादी और पड़ोसी क्षेत्रों से प्रवासियों को समायोजित किया गया। दक्षिणी भाग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर झुग्गियों ने अतिक्रमण कर लिया है।

उत्तर और पश्चिम दिशा की भूमि जो पहले कृषि के लिए उपयोग की जाती थी अब स्थानीय पंचायत द्वारा छोटे आवासीय भूखंडों में विभाजित की जा रही है, जो मुख्य रूप से निम्न-आय समूहों को लक्षित कर रही है। अब तक कुछ घर बनाए गए हैं; वे बुनियादी आश्रय हैं जो निर्माण में अल्पविकसित हैं, गैर-परिसज्जित अग्रभाग की विशेषता वाले हैं और न्यूनतम कार्यात्मक हैं।

बुरहानपुर अपने पावर-लूम कारखानों और ग्रेज फैब्रिक के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मूल रूप से चारदीवारी वाले शहर के भीतर केंद्रित ये कारखाने ग्रेज फैब्रिक की बढ़ती मांग और सीमित उपलब्ध भूमि के कारण परिधि तक फैल गई हैं। पिछले दो दशकों में, विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी भाग में नए छोटे पैमाने के पावर-लूम कारखाने बने हैं। हालाँकि, ये कारखाने ध्वनि और वायु प्रदूषण काफी बढ़ा देते हैं, साथ ही हानिकारक रसायनों वाले अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जिन्हें अक्सर नदी के पास निपटाया जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र और संस्मारक दोनों के लिए पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं।

6.3 संरक्षित संस्मारकों या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

उत्तर और पश्चिम दिशा से देखने पर संस्मारक दिखाई नहीं देता जबकि पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से देखने पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दक्षिण पश्चिम दिशा से यह आंशिक रूप से दिखाई देता है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

संस्मारक के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र के पूर्वी भाग में खुली बंजर भूमि है। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में भूमि का उपयोग मुख्य रूप से आवासीय, वाणिज्यिक और धार्मिक भवनों के लिए किया जाता है।

बुरहानपुर विकास योजना 2021 के अनुसार निर्दिष्ट भूमि का उपयोग आवासीय है और कुछ भाग सार्वजनिक-अर्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत आते हैं।

6.5 संरक्षित संस्मारकों के अलावा पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में कोई ज्ञात पुरातात्विक विरासत अवशेष एवं स्थल मौजूद नहीं हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

यह कब्रिस्तान उतावली नदी के किनारे विशाल प्राकृतिक परिदृश्य के बीच सामंजस्यपूर्ण ढंग से बसा हुआ है, जो पेड़ों, झाड़ियों और कृषि क्षेत्रों से सजी खुली हरी जगहों से घिरा हुआ है। अपनी विशिष्ट वास्तुकला बनाए रखने के साथ ये कब्रें न केवल शहर के विशेष क्षितिज में योगदान करती हैं, बल्कि समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक आधारशिला के रूप में भी काम करती हैं। वे स्थानीय लोगों और फ़ारूकी राजवंश के वंशजों के लिए गहरा महत्व रखते हैं, जो अक्सर इस पवित्र स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने, प्रार्थना करने और अपने पूर्वजों की विरासत का सम्मान करने के लिए आते हैं। शांत वातावरण इस स्थल के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक आकर्षण को और बढ़ाता है जिससे यह एक प्रिय स्थल बन जाता है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

पूर्व को छोड़कर संस्मारक सभी दिशाओं में आधुनिक निर्माणों से घिरा हुआ है। कोई प्राकृतिक परिदृश्य मौजूद नहीं है।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में भूमि का उपयोग अधिकतर आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। पूर्व दिशा में खुली बंजर भूमि है जिसका कुछ भाग निर्माण के लिए प्रस्तावित है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

संस्मारक के निकट स्थित दरगाह पर निवासियों द्वारा आयोजित मेले को छोडकर संरक्षित संस्मारक पर कोई भी पारंपरिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाती हैं।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

आधुनिक इमारतों के कारण उत्तर और पश्चिम दिशा में संस्मारक का क्षितिज दिखाई नहीं देता। हालाँकि, पूर्व, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं से संरक्षित संस्मारक का क्षितिज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संस्मारक के आसपास कोई पारंपरिक वास्तुकला विद्यमान नहीं है।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

इसे **अनुलग्नक-III** पर देखा जा सकता है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2)

और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित स्थल के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 <u>नया निर्माण:</u>

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (जब भी संशोधित किया जाएगा) के तहत परिभाषित बुरहानपुर विकास योजना, 2021 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984, संशोधित 2012 में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम, लागू होंगे। हालांकि, इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य मापदंड संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं, आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:

नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **4.5 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं।

संरक्षित संस्मारक की संरचनात्मक सुरक्षा पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

2. उपयोग:

i. संरक्षित संस्मारक की अवस्थिति को बनाए रखने और संरक्षित करने तथा पारिस्थितिकी महत्व को ध्यान में रखते हुए संस्मारक के विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी दिशाओं में मौजूदा खुली भूमि को बनाए रखने की सिफारिश की जाती है।

ii. विनियमित क्षेत्र के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भागों में मौजूदा आवासीय भूमि उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इस आवासीय क्षेत्र के भीतर, किराने की दुकानों के अलावा किसी भी अन्य व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आवासीय क्षेत्र के भीतर पावर-लूम कारखानों, रस्सी बनाने की गतिविधियों या किसी भी ऐसी औद्योगिक/गतिविधि जैसे असंगत उपयोगों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. अग्रभाग डिजाइन:

i. अग्रभाग का डिज़ाइन मिट्टी के रंगों में प्लास्टर और पेंट किया जाना चाहिए। नए निर्माण का अग्रभाग डिज़ाइन प्रकृति में न्यूनतम होना चाहिए, ताकि यह संस्मारक और आसपास के क्षेत्र के समग्र चरित्र पर हावी न हो।

ii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी परिसज्जा के लिए एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट्स (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसे अंतर्वेधी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. रंगीन चमकदार अग्रभाग के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

i. किनारों पर कम पैरापेट दीवारों के साथ सपाट छत डिजाइन का पालन किया जा सकता है।

ii. इमारतों की छतों पर एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. सभी सेवाएँ जैसे कि बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, छत पर पानी के भंडारण टैंक या छत पर रखे बड़े जनरेटर सेट को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, जालियाँ या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्व) का उपयोग करके ढका जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

iv. भविष्य में एक और मंजिल बनाने के लिए छत पर रिइन्फोर्समेंट नहीं छोड़ा जाएगा।

5. निर्माण सामग्री:

i. संस्मारक के सभी सड़क के अग्रभाग पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए।

ii. बाहरी सजावट के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. ईंट, पत्थर और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र की विरासत विशेषता के लिए अंतर्वेधी न हो।

6. रंग:

बाहरी रंग तटस्थ स्वर का होना चाहिए तथा संरक्षित संस्मारक के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि बफ सैंडस्टोन रंग, बेज तथा अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक तथा उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास उत्पन्न न करें।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो (भूमिगत या ओवरहेड), फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसे किसी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

व्यवहार्यता के अनुसार आगंतुक सुविधाओं और प्रसाधनों पर विचार किया जा सकता है।

अध्याय VII
स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक की अवस्थिति और इसके पारिस्थितिक महत्व को संरक्षित करने के लिए संस्मारक के विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मौजूदा खुली भूमि को बनाए रखने की सिफारिश की जाती है।

ii. संस्मारक और ताप्ती नदी के विनियमित क्षेत्र में या विनियमित क्षेत्र के एकदम बाहर के क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक गतिविधि को हतोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में प्रदूषण और विकासात्मक दबाव से संस्मारक और इसके प्राकृतिक वातावरण की रक्षा की जा सके।

iii. भूमि की प्राकृतिक स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज लाइनों जैसी सेवाओं को ठीक तरह से बिछाया जाना चाहिए। ऐसी नालियों और पाइपलाइनों को ठीक से कवर किया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी सेवा संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र से नहीं गुजरनी चाहिए।

iv. संरक्षित संस्मारक के पास, विशेष रूप से संरक्षित संस्मारक की दीवारों पर होर्डिंग, बिल-बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

v. संरक्षित संस्मारक या उसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग साइनेज के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, जोनल प्लान या विकास योजना तैयार की जाए या उसमें संशोधन किया जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. संस्मारक के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

iii. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iv. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-laws for the Protected Monument "**Tomb of Shah Shuja, Burhanpur, District - Burhanpur, Madhya Pradesh"** prepared by the Competent Authority, in consultation with the School of Planning and Architecture, Bhopal, were hereby published on 17.01.2022 as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely: -

Heritage bye-Laws for "Tomb of Shah Shuja, Burhanpur, District - Burhanpur, Madhya Pradesh"

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements: -

i. These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-laws 2025 of Protected Monument – "**Tomb of Shah Shuja, Burhanpur, District - Burhanpur, Madhya Pradesh".**

ii. They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the monuments.

iii. The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

iv. They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires: -

(a) “ancient monument” means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes: -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) “archaeological site and remains” means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) “Act” means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, (24 of 1958), as amended;

(d) “Archaeological Officer” means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) “Authority” means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) “Competent Authority” means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) “construction” means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) “Government” means the Government of India;

(i) “maintain”, with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected monument or of securing convenient access thereto;

(j) “owner” includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(k) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(l) “Prohibited Area” means any area specified or declared to be a Prohibited area under section 20A;

(m) “Protected Area” means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(n) “Protected Monument” means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) “Regulated Area” means any area specified or declared to be a Regulated area under section 20B of this Act;

(p) “re-construction” means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(q) “repair and renovation” means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the Rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monuments. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the Prohibited Area, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the Regulated Area, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Protected Monument – Tomb of Shah Shuja (locally known as - Bilqis Begum ka Maqbara), Burhanpur, Madhya Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monument:

Burhanpur city, the administrative headquarters of Burhanpur District in the South-Western part of Madhya Pradesh, shares borders with Khandwa district in the North, Khargone district in the North-West, and Maharashtra in the East, West, and South. Located at 21.3°N and 76.23°E with an average elevation of 232 metres above Mean Sea Level, Burhanpur lies in the Tapti River valley amidst the Satpura mountain ranges. Its strategic location along the Tapti River made it a significant center of trade, culture, and political power under various medieval dynasties, including the Farooqis, Mughals, Marathas, and Scindias. Today, Burhanpur features numerous historical monuments such as forts, mosques, tombs, dargahs, mazaars, temples, gurudwaras, hammams, sarais, and other public buildings, along with heavily adorned residences of Gujarati, Marathi, and Rajasthani trading communities. The city's rich heritage is evident from the concentration of nine protected monuments within a 1.2 km radius of the city center. (see Figure 1).

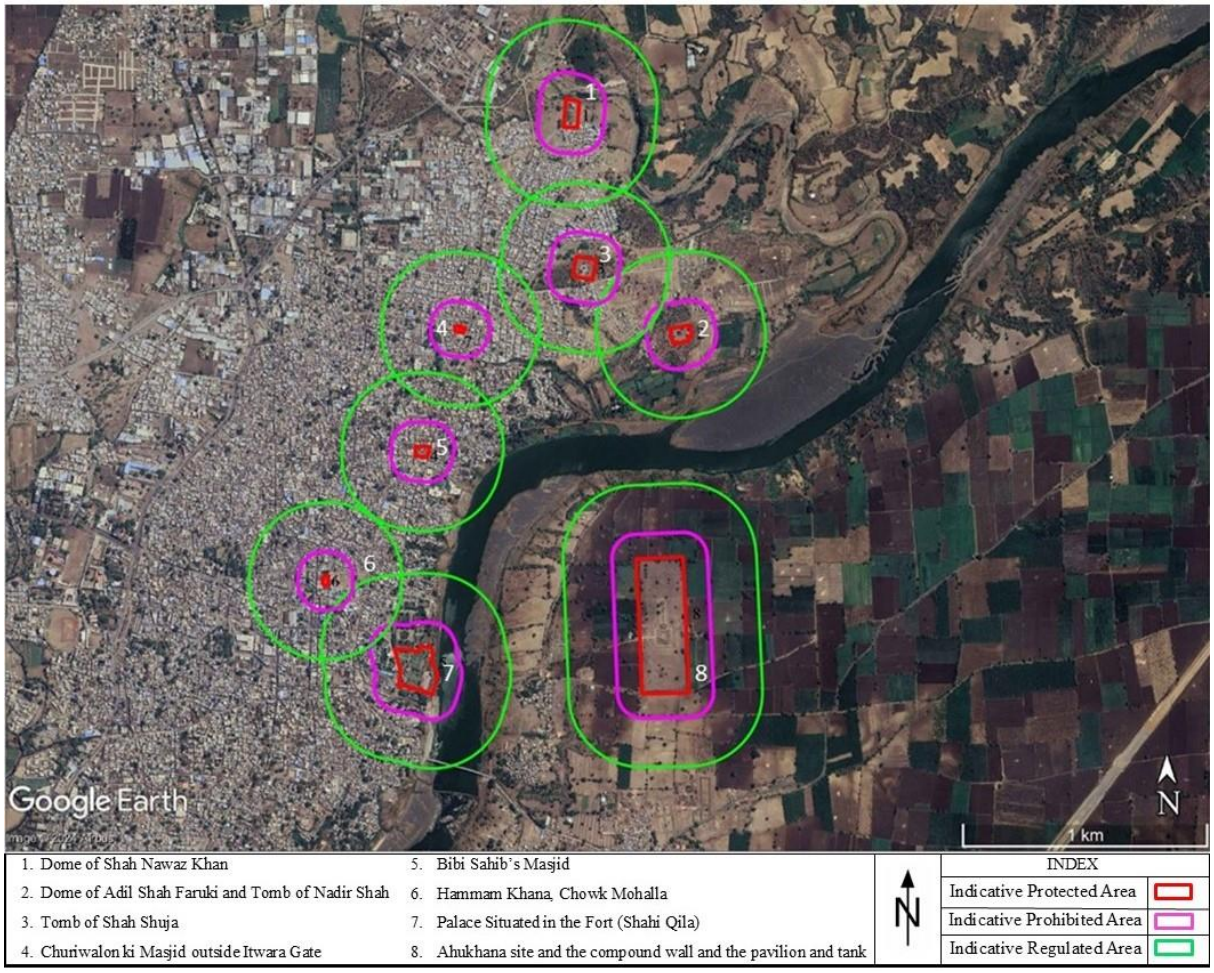

Figure 1: Satellite image showing the cluster of monuments along with the Tomb of Shah Shuja, District - Burhanpur, Madhya Pradesh

1. Dome of Shah Nawaz Khan
2. Dome of Adil Shah Faruki and Tomb of Nadir Shah
3. Tomb of Shah Shuja
4. Churiwalon ki Masjid outside Itwara Gate
5. Bibi Sahib's Masjid
6. Hammam Khana, Chowk Mohalla
7. Palace Situated in the Fort (Shahi Qila)
8. Ahukhana site and the compound wall and the pavilion and tank

The Tomb of Shah Shuja is located in the Eastern outskirts in Burhapur, Madhya Pradesh. The monuments are located at Lat: 21°19'20.67"N, Long: 76°14'36.94"E. The site has connectivity with the Loharmandi Road at 1.6 km and Indore-Lachhapur Road (State Highway-50) at 2.1 kms. The nearest railway station is Burhanpur Railway Station at a distance of 7.3 kms. The nearest airport is Devi Ahilyabai Holkar International Airport, Indore at a distance of 186 kms via Khandwa - Indore Road – (State Highway-27), connecting all the metro cities as well as other major cities of the country.

Close to other protected monuments like the Dome of Shah Nawaz Khan and Tomb of Nadir Shah, it forms part of a heritage cluster with Dargah Hazrat Shah Bhikhari and other tombs and temples nearby.

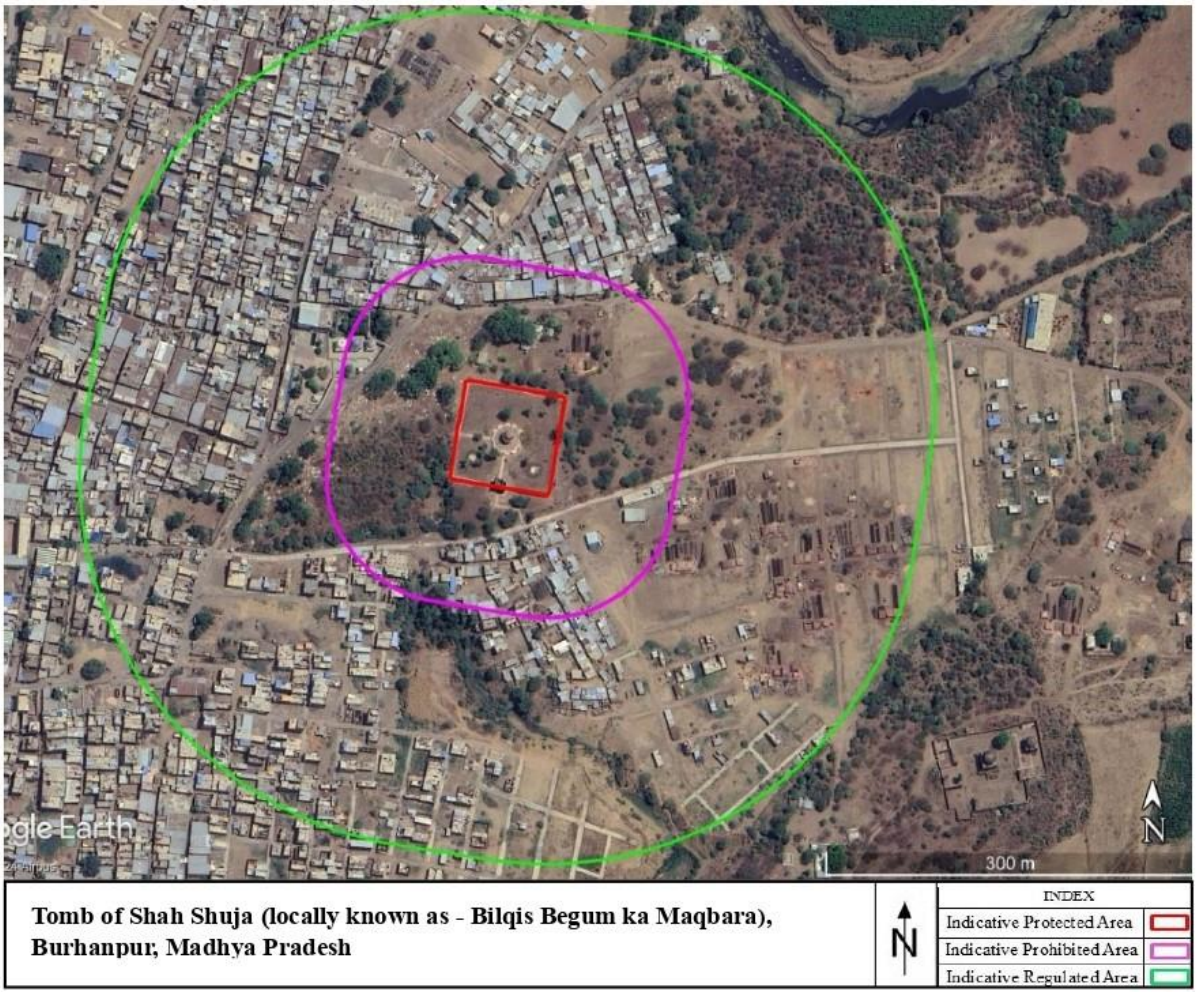

Figure: 2 Satellite image showing the location of Tomb of Shah Shuja, Burhanpur, Madhya Pradesh

3.2 Protected boundary of the Monument:

The boundary of the Protected Monument- The Tomb of Shah Shuja, District- Burhanpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The Gazette Notification for The Tomb of Shah Shuja, District - Burhanpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

The history of Burhanpur can be traced to ancient times, as evidenced by archaeological findings such as red and black polished terracotta wares, grey ware, and copper axes discovered near the Tapti River. Mentioned as an ancient city known as "Braghnapur" in religious texts from the 17th and 18th centuries like Jatakalandar and Tapi Mahatmya, Burhanpur flourished under various dynasties during antiquity. These included the Ishvakus, Haihayas, Pradyotas, Shaishunagas, Mauryas, Shungas, Satavahanas, Kardamakas, Abhiras, Vakatakas, Kalchuris, Chalukyas, Rashtrakutas and Paramaras.

By the 14th century, Burhanpur and its surrounding region became part of the Delhi Sultanate under the Tughluqs. In the 1370s, Feroz Shah Tughluq appointed Malik Raja as the Iqtedar of Thalner and Karanda Parganas, naming him Sipah Salar of the Khandesh province, which encompassed Burhanpur. Malik Raja's notable contributions to expanding Tughluq territories earned him this position. As the power of Feroz Shah waned, Malik Raja asserted his independence in 1382 CE, establishing the Faruqi dynasty with Thalner as its capital and ruling over Khandesh independently.

The tomb belongs to the queen of Emperor Shah Shuja - Bilqis Begum. It is also known as Bilqis Begum ka Maqbara. Shah Shuja was born on 23 June 1616 in Ajmer and was the second son of the Mughal emperor Shah Jahan and Mumtaz Mahal. He was the Subedar of Bengal, Bihar and Orissa and was visiting Burhanpur with his favourite Queen Bilqis Begum. Bilquis Begum gave birth to a daughter-a princess, but could not survive during child birth and died in 1042 H (1632 C.E.). After her demise, Bilqis Begum was interred with honours and this tomb was built over her grave.

3.4 Description of the Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

Of all the Mughal monuments built in Burhanpur, this tomb is unique in terms of its construction style as its dome is like the slices of melon (kharbooza), so it is also known as Kharbooza Mahal. The tomb is built 1.2 metres above the ground and designed to sit on a platform cut like a rose petal. It stands on a raised fluted circular plinth. It is built of stone and plastered with shell mortar and decorated with paintings. The tomb is crowned with a fluted dome.

Resembling a Melon, the tomb has intricated carvings done on it with adequate facility of air and sunshine through well planned ventilation. In the center of the Maqbara lies the Mazaar of Bilqis Begum (Begum Shuja), decorated with beautiful carving of plants and creepers. Inside the tomb, colorful designs have been made. The paint looks fresh even today. The remarkable feature is that no design has been repeated.

3.5 Current status:

3.5.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of the Archaeological Survey of India. The photographs depicting the present condition of the Protected Monument are appended in **Annexure IV**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Average foot fall is 15 to 20 visitors per day.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing Zoning:

The Land-use Plan of Burhanpur Development Plan, 2021 can be referred in **Annexure-III**. The Development Regulations may also be referred in the Burhanpur Development Plan 2021.

In the Burhanpur Development Plan, 2021, the entire planning area of Burhanpur has been divided into 9 investment units to ensure their independent functionality, particularly concerning work centres, commercial activities, education, and healthcare facilities. The Protected Monument and the surrounding area come under **Planning Unit Boundary (2).** Specific regulations pertaining to each investment units are unavailable.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The general guidelines for the construction as per the Burhanpur Development Plan 2021 and Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012 defined under the "Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973)" (as and when amended) shall be applicable.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of Monument:

Survey Plan of Tomb of Shah Shuja, Burhanpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Protected Area: 6,638 sqm approximately
ii. Prohibited Area: 63,819 sqm approximately
iii. Regulated Area: 3,15,934 sqm approximately

The Regulated Area of the Monument includes residences and power-loom factories on the North, South and South-West direction along with a school, mosque and few grocery shops. Residences along with a mosque, dargah and a kundi (well) are present on the Western side. The Northern and Eastern sides of the Regulated Area are open mainly comprising of a graveyard and a agricultural fields.

5.2.2 Description of built-up area:

Prohibited Area:

(i) **North:** This direction contains several private residences, a graveyard and a few small temples.

(ii) **South:** In this area, there are several private residences, a narrow kuchha road, an extension of the Tapti River which take the form of a stream, hand pumps and a small water tank.

(iii) **East:** Open barren land is found in this direction.

(iv) **West:** This direction comprises open barren land, a graveyard, a section of the main road, kuccha road and an extension of the Tapti River in the form of a stream.

Regulated Area:

(i) **North:** This direction consists of a few residences and office of the Madhya Pradesh Electricity Board (MPEB).

(ii) **South:** This area includes barren land interspersed with some private residences and an extension of the Tapti River in the form of a stream.

(iii) **East:** Open barren land and kutcha road are present in this direction.

(iv) **West:** This direction is characterized by a dense settlement of private residences with small open spaces, a mosque and a segment of cement concrete Road that connects to the main road.

5.2.3 Description of green/open spaces:

(i) **North:** Mostly barren land along with a few open spaces around the temple and around the residences as garden is present in this direction.

(ii) **South:** A few patches of open barren land are present in this direction.

(iii) **East:** A few patches of open spaces present in the form of colony plots and open barren land is present in this direction.

(iv) **West:** A few patches of open barren land are present in the this and South – West direction.

5.2.4 Area covered under circulation –roads, footpaths, etc.:

Residential settlement has come up haphazardly in the surrounding area without any proper approach roads, footpaths and other infrastructure. Streets in the residential area are laid in Reinforced Concrete Cement (RCC) while the rest of them are kuchha in nature.

5.2.5 Existing Heights of buildings:

(i) **North:** The structures/buildings range from G to G+2 structures, with maximum building height of 7 metres approximately.

(ii) **South:** The structures/buildings are mostly G structures, with maximum building height of 3.5 metres approximately.

(iii) **East:** Currently there are no built forms present in this direction.

(iv) **West:** The structures/buildings range from G to G+2 structures, with maximum building height of 10 metres approximately.

5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by Local Authorities, if available, within Prohibited/Regulated Area:

There are no state protected monuments or any other local body protected monument present in the Prohibited and Regulated Area of this Centrally Protected Monument. There are three other Protected Monuments, namely the Dome of Shah Nawaz Khan, Dome of Adil Faruki and Tomb of Nadir Shah and Churiwalon ki Masjid present in its close vicinity.

5.2.7 Public amenities:

Cultural notice boards and some signages are present in the Protected Monument.

5.2.8 Access to the Monument:

The Monument is connected to the Khargone – Burhanpur Highway/Indore Icchapur Highway through a network of secondary and tertiary roads which join the highway at Transport Nagar Chauraha (approximately 1km West of the Monument). It is also connected to Azad Nagar through a local road leading North East from the Hazrat Ayesha Chauraha. Access to the Monument is through a kuchha road of about 200 metres in length from entry

point. This kuchha road further extends and gets connected to a concrete road of nearby colonies namely Monin Pura and Azad Nagar.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking, etc.):

MPEB transformer and electrical sub-station is present on the Northern side, near the Regulated boundary. Two overhead water tanks (OHT) and a few open natural storm water drains are also present around the monument.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

In the Burhanpur Development Plan, 2021, the entire planning area of Burhanpur has been divided into 9 investment units to ensure their independent functionality, particularly concerning work centres, commercial activities, education, and healthcare facilities. The monuments and the surrounding area come under **Planning Unit Boundary (2)**, however, specific regulations for each Planning Unit Boundary are unavailable.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

Historical Value:

The tomb of Shah Shuja was built in the memory of Queen Bilqius Begam–wife of Shah Shuja, son of the Mughal emperor Shah Jahan. Bilqius Begam could not survive during child birth and died in 1042H (1632CE). After death, Bilqis Begam was interred with honours, and this tomb was built over her grave.

Architectural Value:

Among the Mughal monuments in Burhanpur, this tomb stands out for its distinctive construction style, featuring a dome resembling slices of a melon. This unique design has earned it the name "Kharbooza Mahal."the mausoleum is elevated 1.2 metres above the ground and rests upon a platform shaped like a rose petal, set upon a raised fluted circular base. Constructed from stone and coated with shell mortar, it is adorned with intricate paintings. Crowned by a fluted dome, the structure is crafted to resemble a melon, featuring elaborate carvings and well-ventilated with ample natural light. At its heart lies the Mazaar of Begum Shuja, embellished with exquisite plant and creeper motifs. Inside, vibrant designs adorn the walls, their colors remarkably fresh despite the passage of time, each pattern unique and not repeated.

Archaeological Value:

The monument is situated at the base of a site that serves as the royal graveyard, where significant tombs and the mortal remains of the Farooqi rulers, their families, and notable saints are interred. Spanning an expansive area of 20 acres, this burial ground holds immense historical and cultural significance. Within the tomb's interior lies the grave of Shah Shuja's wife, which, along with its intricate design and rich history, adds to the site's archaeological importance. Furthermore, the surrounding area contains evidence of various other monuments, underscoring the site's value as a repository of historical and architectural heritage.

6.2 Sensitivity of the monument (developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

Historically, the Monument was surrounded by vast, barren usar land known for its infertile soil and sloping terrain. This expansive vacant area has faced increasing pressures from urban development and housing demands over the past decade. Particularly on the Southern and South Western sides of the Regulated Area. This vacant land has gradually been encroached upon and developed, accommodating the city's growing population and migrants from neighbouring regions. Some parts of the Prohibited Area on the Southern part have been encroached by slums.

The land on North and West direction which was previously utilized for agriculture is now being subdivided into small residential plots by the local panchayat, primarily targeting low-income groups. A few houses have been built so far; they are basic shelters which are rudimentary in construction, featuring unfinished façade and offering minimal functionality.

Burhanpur is renowned for its power-loom factories and the large-scale production of greige fabric. Originally concentrated within the walled city, these factories have expanded to the periphery due to the rising demand for greige fabric and limited available land. Over the past two decades, new small-scale power-loom factories have emerged in the South Western part of the Regulated Area. However, these factories contribute significantly to noise and air pollution, as well as generating waste containing harmful chemicals that are often disposed of near the river, posing environmental hazards to both the surroundings and the Monument.

6.3 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The monument is obstructed from view when approached from the North and West directions, whereas it is prominently visible when approached from the East and North East directions. It is partially visible from the South West direction.

6.4 Land use to be identified:

The Eastern side in the Prohibited and Regulated Area of the monument is open barren land. In the North, West and South directions, the land is used mainly for residential, commercial and religious buildings.

As per the Burhanpur Development Plan 2021, the designated land use is residential and some parts fall under the public-semipublic use.

6.5 Archaeological heritage remains other than Protected Monument:

No known archaeological heritage remains and sites are present in the Prohibited and Regulated Area.

6.6 Cultural landscape:

This graveyard is harmoniously nestled within the expansive natural landscape along the banks of the Utawali River, surrounded by open green spaces adorned with trees, shrubs, and agricultural fields. The tombs, with their distinct architectural presence, not only contribute to the city's iconic skyline but also serve as a cultural and religious cornerstone for the community. They hold deep significance for the locals and the descendants of the Farooqi dynasty, who frequently visit this sacred site to pay homage, offer prayers and honor the legacy of their ancestors. The serene environment further enhances the site's spiritual and historical allure, making it a cherished landmark.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also helps in protecting Monument from environmental pollution:

The monument is surrounded by the modern constructions in all directions except in the East. No natural landscape exists.

6.8 Usage of open space and constructions:

In North, West and South directions, land is mostly used for residential purpose. In the East direction, there is open barren land with some parts proposed for construction.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, cultural and historical activities are conducted at the Protected Monument except a mela organized at a dargah near the monument by the residents.

6.10 Skyline, as visible from the monument and from Regulated Areas:

The monument's skyline is not visible in North and West direction due to modern buildings. However, from East, North-East, South-East and South-West directions, the Protected Monument's skyline is clearly visible.

6.11 Traditional architecture:

No traditional architecture is prevalent around the monument.

6.12 Development plan as available by the local authorities:

It may be seen at **ANNEXURE-III**.

6.13 Permissible building related parameters:

The Monument – The Tomb of Shah Shuja, Madhya Pradesh is located in close vicinity with other Protected Monuments namely the Dome of Shah Nawaz Khan, Burhanpur, Dome of Adil Shah Faruki and Tomb of Nadir Shah and Churiwalon ki Masjid (refer **Figure 1**), hence, the Prohibited and Regulated Areas of these Monuments overlap. The bye-laws of these Protected Monuments should therefore be read in conjunction with one another. In the event of a site of construction simultaneously falling in the Prohibited Area of one Monument and the Regulated Area of another Monument, the site of construction shall be deemed to be falling in the Prohibited Area alone and the building related parameters shall be applicable accordingly. Further, if a site of construction falls in the Regulated Area of two separate Monuments, the likely adverse impact on account of the proposed construction on the Monument which is closer to the site of construction, shall be given precedence.

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built area and open area relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building materials should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 6(IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Site, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding area.

6.13.3 New construction:

6.13.3.A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3.B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the Burhanpur Development Plan, 2021 and the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984, amended on 2012, defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (as and when amended) shall be applicable, however, the height and other parameters specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the Monument.

1. Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse, structures of terrace garden, etc.) or any other services on the roof:

The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **4.5 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

Construction of basement may not be permitted to mitigate any adverse impact on the structural safety of the Protected Monument.

2. Usage:

(i) To maintain and preserve the setting of the Protected Monument and in view of the ecological significance, it is recommended to retain the existing open land in the South-Western and Eastern directions of the Regulated Area of the Monument.

(ii) The existing residential land use in the Northern and North-Western parts of the Regulated Area may be allowed. However, within this residential area, no commercial activity other than the grocery (*kirana*) shops should be allowed. Incompatible uses like power-loom factories, rope-making activities or any such industrial/activity to be discouraged within the residential zone.

3. Façade design:

(i) The façade design should be plastered and painted in earthy colours. The façade design of new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the monument and the overall character of the surrounding area.

(ii) Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior facade should be discouraged.

(iii) Use of coloured glazed façade should be discouraged.

4. Roof design:

(i) Flat roof design may be followed with low parapet walls along the edges.

(ii) Erection of structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roofs of the buildings.

(iii) All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets, louvers, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

(iv) Reinforcements shall not be left on the terrace for adding another floor in the future.

5. Building material:

(i) Consistency in building materials and colour along all street façade of the monument should be maintained.

(ii) Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

(iii) Building materials like brick, stone and cement may be used which are non-intrusive to the heritage character of the Protected Monument and its surroundings area.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone and in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. Other regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like Metro (underground or overhead), foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities may be considered as per feasibility.

CHAPTER VII

Site specific recommendations

7.1 Site specific recommendations:

i. It is recommended to maintain the existing open land in the South-Western and Eastern areas of the Regulated Area of the Monument in order to preserve the setting of the Protected Monument and its ecological significance.

ii. Any industrial activity in the Regulated Area of the Monument and the Tapti River or in the immediate vicinity beyond the Regulated Area should be discouraged to safeguard the Monument and its natural environs from pollution and developmental pressure in the future.

iii. Services like water supply, drainage and sewerage lines should be properly laid keeping in mind the natural topography of the land. Such drains and pipelines should be properly covered. No such services should pass through the Prohibited Area of the Protected Monument.

iv. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Protected Monument.

v. LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the protected monument or its immediate surrounding areas.

7.2 Other recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan, or Development Plan is prepared or amended, it should clearly show all Protected Monuments of national importance and their Prohibited and Regulated Areas.

ii. Extensive publicity programmes may be conducted to increase public awareness about the historical and architectural significance of the Monument.

iii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iv. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE–I

शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना
Survey plan of Tomb of Shah Shuja, Burhanpur, District-Burhanpur, Madhya Pradesh

अनुलग्नक-II
ANNEXURE–II

संस्मारक की अधिसूचना
Notification of the Monument

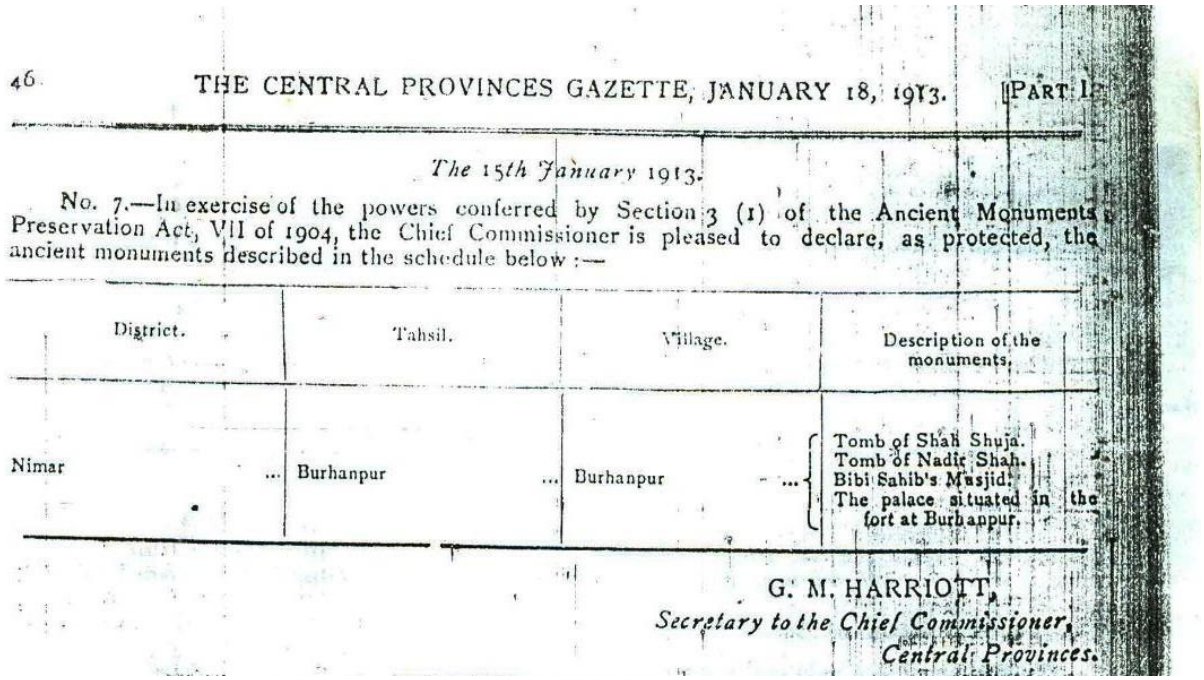

46 THE CENTRAL PROVINCES GAZETTE, JANUARY 18, 1913. [PART I.

The 15th January 1913.

No. 7.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of the Ancient Monuments Preservation Act, VII of 1904, the Chief Commissioner is pleased to declare, as protected, the ancient monuments described in the schedule below :—

District.	Tahsil.	Village.	Description of the monuments.
Nimar ...	Burhanpur ...	Burhanpur ...	Tomb of Shah Shuja. Tomb of Nadir Shah. Bibi Sahib's Masjid. The palace situated in the fort at Burhanpur.

G. M. HARRIOTT,
Secretary to the Chief Commissioner,
Central Provinces.

मूलरूप की टंकित अधिसूचना
Typed copy of Notification

46 THE CENTRAL PROVINCES GAZETTE, JANUARY 18, 1913 [PART I]

The 15th January, 1913.

No.7.– In exercise of the powers conferred by Section 3(1) of the Ancient Monuments Preservation Act, VII o9f 1904, the Chief Commissioner is pleased to declare, as protected, the ancient monuments described in the schedule below:-

District	Tahsil	Village	Description of the monuments
Nimar	Burhanpur	Burhanpur	Tomb of Shah Shuja. Tomb of Nadir Shah. Bibi Sahib's Masjid. The Palace situated in the fort at Burhanpur.

G.M. HARRIOTT,
Secretary to the Chief Commissioner
Central Provinces.

अनुलग्नक-III
ANNEXURE-III

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना
Development plan as available by the local authorities

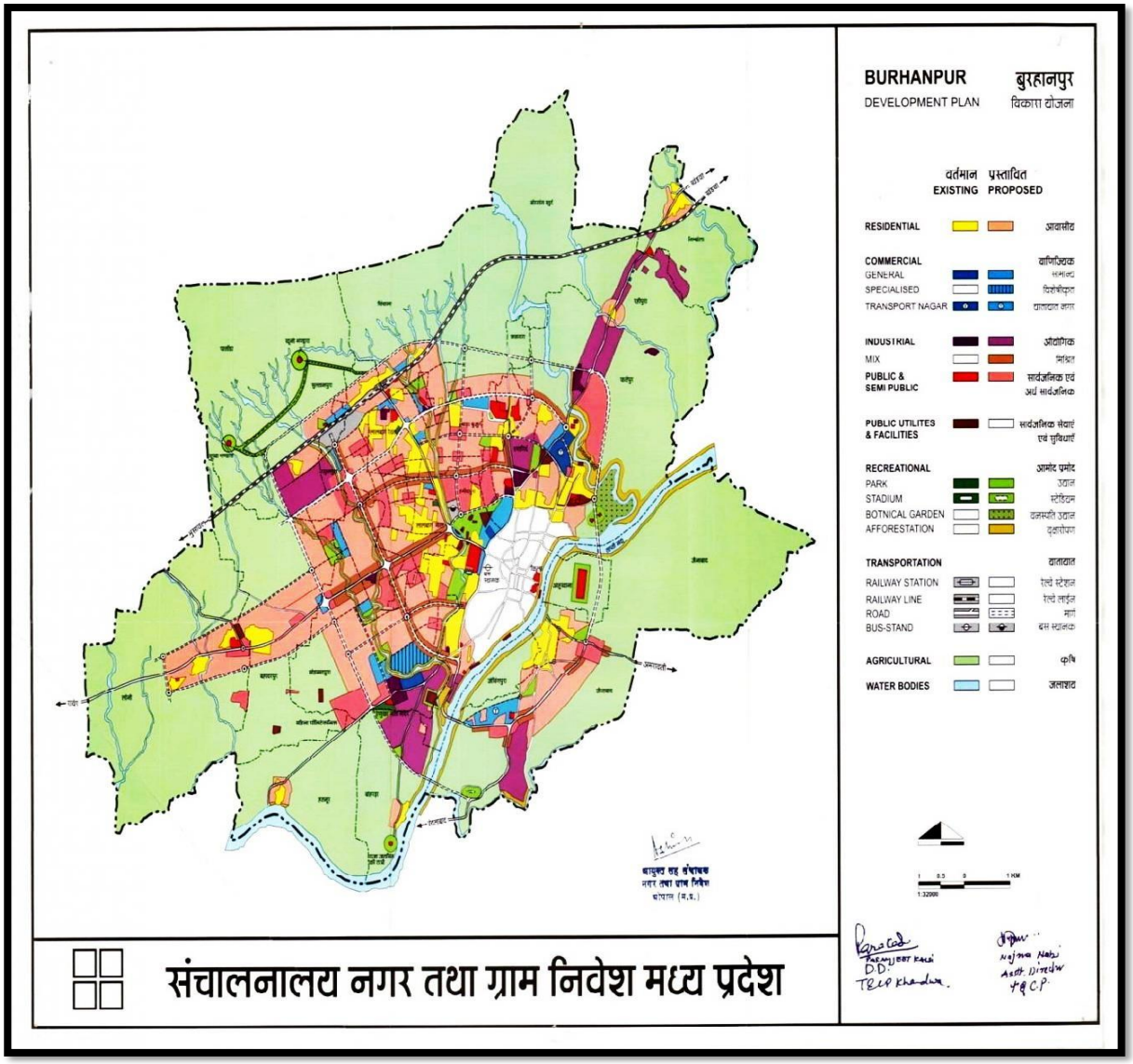

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

संस्मारक और उसके आसपास के चित्र
Images of the monument and its surroundings

चित्र 1: शाह शुजा का मकबरा के सामने का दृश्य
Image 1: Front View of Tomb of Shah Shuja

चित्र 2: शाह शुजा का मकबरा के पीछे का दृश्य
Image 2: Rear View of Tom View of Tomb of Shah Shuja

चित्र 3 और 4: ये चित्र भित्तिचित्र बनाने की तकनीक को दर्शाते हैं जो काफी विस्तृत थी - रंगों को परतों में चित्रित किया गया था और जटिल बहुरंगी डिजाइनों को दिखाने के लिए उन्हें खरोंचा गया था। ये विशिष्ट मुगल भित्तिचित्र फूलों, गुलदान (फूलदान), बहु-नुकीले सितारों, जालियों, मेहराबों के अलावा बहुरूपदर्शक पैटर्न से प्रेरित उत्कृष्ट रूपांकनों को दर्शाते हैं।

Image 3 and 4: These images depict the technique of creating frescoes was quite elaborate—colours were painted in layers and scratched to reveal intricate multi-hued designs. These Typical Mughal frescoes depict exquisite motifs inspired by flowers, guldaan (flowerpots), multi-pointedstars, jaali, arches, besides kaleidoscopic patterns

चित्र 5: मकबरे के अन्दर दफनाए गए क्षेत्र को दर्शाता चित्र

Image 5: Image showing the buried area inside the tomb

चित्र 6: केंद्र में मकबरे सहित चारदीवारी की दक्षिण दिशा की ओर द्वार को दर्शाता चित्र

Image 6: Image showing the gate on the south side of the boundary wall with the tomb in the center

चित्र 7 और 8: संस्मारक की उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर निर्माण कार्य को दर्शाता चित्र
Image 7 and 8: Image showing the construction on the North and West side of the monument

चित्र 9 और 10: संस्मारक की दक्षिण दिशा की ओर निर्माण कार्य को दर्शाता चित्र

Image 9 and 10: Image showing the construction on the South side of the monument